न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 78/2009

जीसीएमएस : 2009/00022

1. मु0 शान्ति पत्नी चेतराम जाति बाबरी निवासी भादवांवाला तहसील रायसिंहनगर

बनाम

1. मंगतराम
2. मनीराम
3. फरसाराम
4. देवीलाल
5. औमप्रकाश
6. गुड्डीदेवी
7. दाखा
8. लिछमा

} संतान भीखाराम जाति जाट निवासी भादवावाला तहसील रायसिंहनगर

9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

<u>अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति :–

1. श्री देवेन्द्र कुमार मण्डा, वकील प्रार्थी
2. एकपक्षीय

–: निर्णय :–

दिनांक : 02.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राज.कास्त. अधि. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम चक 79 आरबी बी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. पुराना 56 नया 43 के 14–10 बीघा बारानी जरिए मिसल नं. 316/76 निर्णय दिनांक 01.07.1983 के अनुसार कब्जा कास्त मानते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पुख्ता आवंटन किया गया था। आवंटन के बाद जारी आवंटन पट्टा में चक 79 आर बी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 56 वर्तमान मु.नं. 43 के कि.नं. 1 ता 4, के 4 बीघा, 5 में 0–18, 6 में 0–18, 7 ता 14 सालम, 15 में 0–18, 16 में 0–18, 17,18 सालम सालम, 23 व 24 सालम, 25 में 0–18 कुल 14–10 दर्ज किया गया। प्रार्थी आवंटन शुदा भूमि पर आवंटन होने के बाद उक्त किलाजात पर काबिज होकर कास्त करने लग गई तथा आज दिन भी इन्ही किलाजात पर काबिज हैं। आवंटन पटटा की प्रति पटवारी हल्का के पास जाने के बाद किलाजात का मिला ना होने के कारण रकबा का अमल दरामद प्रार्थी के नाम नहीं कर सके। जिस पर प्रार्थी ने न्यायालय में आवंटन आदेश में संशोधन करने का प्रार्थना पत्र पेश किया तो मूल पत्रावली तलब की जाकर आवंटन पट्टा में संशोधन कर आदेश पारित किया। जब प्रार्थी द्वारा सनद खातेदारी प्राप्त करने के लिए पटवारी के पास गई तो मालूम हुआ कि विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 ता 8 के पिता को आंवटन किया जा चुका हैं। प्रार्थी ने रिकार्ड का अवलोकन किया तो मालूम हुआ कि अप्रार्थीगण के पिता भीखाराम को इसी मु.नं. के कि.नं. 16 ता 25 पुख्ता आवंटन किया गया हैं जबकि कि.नं. 16 में 0–18, 17–18 सालम सालम 23, 24 सालम सालम, 25 में 0–18 पूर्व में प्रार्थी को पुख्ता आवंटन हैं। इसके अतिरिक्त भीखाराम को जो आवंटन किया गया हैं उसमें कि.नं. 16, 25 में 0–2, 0–2 बिस्वा अन्य रकबा के साथ आवंटन किया गया हैं जबकि इस किलाजात में पूर्व में रास्ता स्वीकृत हैं। प्रार्थीनी अप्रार्थीगण से दिनांक 17.06.2009 को मिली तथा रिकार्ड में दुरुस्ती का कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे लेकिन बाद में इन्कार कर दिया कि रकबा उनके नाम हैं वे रकबा किसी अन्य को बेचान कर कब्जा हस्तान्तरण कर देंगे। किलाजात प्रार्थी को आवंटित हुए हैं त[illegible] अप्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादा में कामयाब हो जाते हैं तो इससे प्रार्थीनी के अधिकारों [illegible] तथा ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रमि दृष्टय मामला प्रार्थी के [illegible] इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा कि विवादित भूमि में दखल [illegible] किलाजात को रहन बैय करने से बाज व ममनु रहे बाबत पारित करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को त[illegible] किया गया। अप्रार्थीगण [illegible] विरुद्ध दिनांक 02.02.2021 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.27 13:10:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थीया को आवंटित हुई थी। अतः प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में हैं। यदि अप्रार्थीगण भूमि को किसी अन्य को रहन बैय कर देते हैं तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी की प्रति चक 79 आरबी बी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 43 की 2.53है. बारानी भूमि भीखाराम वल्द गिरधारीराम कौम जाट सा. देह गैर खातेदार दर्ज हैं। जिसे प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया हैं कि भूमि अप्रार्थीगण के पिता को पुख्ता आवंटन हुई हैं। प्रकरण आवंटन ओदश में दुरूस्ती संबंधी प्रतीत होता हैं, जिसका निर्णय साक्ष्यो के आधार पर मूल वाद में किया जाना हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त. अधिनियम खारिज किया जाता हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 02.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी, राजस्व
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.27 13:10:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner